आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 244 / 2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री आनन्द नोटियाल

पता–रिलायन्स सेन्टर साउथ विंग, छटी मंजिल, वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताक्रुज (ईस्ट) ब्रांच आफिस मनु उपासना टावर, 6टी मंजिल, संसार चन्द रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रमोद शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा
2. प्रमोद रोड लाईन्स जरिये प्रो. प्रमोद शर्मा
3. प्रेम शर्मा
4. प्रवीण शर्मा
5. गोपाल शर्मा

पता मकान नं. 130, कोशल्या कारय फार्म, अजमेर रोड, बाईपास, भांकरोटा, जयपुर एवं म. नं. बी–61, पवन विहार एबी, ग्राम गजसिंह पुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–

1. श्री गोपेश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश **दिनांक 24.11.2020**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप मे अप्रार्थी श्री गोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री घासीराम शर्मा के स्वामित्व की सम्पति म. नं. बी–61, पवन विहार एबी, ग्राम गजसिंह पुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर 76,50,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने मे असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002, की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर, 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 76,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 79,52,347/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री गोपाल शर्मा पुत्र स्व॰ श्री घासीराम शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति भ॰ नं॰ बी–61, पवन विहार एबी, ग्राम गजसिंह पुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर क्षैत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक **24.11.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर